जी.सी.एम.एस. नं.:-2022/51

-:निर्णय:-

दिनांक:- 26.05.2025

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 381 तादादी 1.50 हैक्टयर, खसरा नंबर 475 तादादी 2.39 हैक्टयर कुल तादादी 3.89 हैक्टयर स्थित है। जिसके पुराने खसरा नंबर 1141/323 तादादी 25.15 बीघा थे। उक्त भूमि पूर्व खातेदार नानूराम पुत्र मूलाराम जाति गुरड़ा के खातेदारी कृषि भूमि रही थी। नानूराम का स्वर्गवास हो चुका है। नानूराम पुत्र मूलाराम के कुल 9 जायज वारिसान थे उनके स्वर्गवास के बाद उनके तमाम जायज वारिसान में उक्त भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निहित हो गई एवं उसी अनुरूप सबका बहिस्सा बराबर 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक तरीके से रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा नानूराम के स्वर्गवास के बाद राजस्व अमला माल से मिलकर वादीगण की स्वर्गीय माता व पति जेठी देवी, प्रतिवादी संख्या 5 तुलछी देवी प्रतिवादी संख्या 6 से 15 के स्वर्गीय पिता व दादा भतमाल व प्रतिवादी संख्या 16 भंवरी देवी के पिता बदरीराम का नाम विरासतन इंतकाल में स्वीकृत नहीं करवाया। उक्त इंतकाल संख्या 1176 प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है एवं शुरू से नल एण्ड वॉयड होने से नोनेस्ट है तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। नानूराम की पत्नी जीवनी का भी स्वर्गवास हो चुका है कानूनन उसका हिस्सा सब में निहित हो जाने के कारण वादीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 4/8 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 का

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त रूप से 1/8 हक व हिस्सा एवं इसी कदर प्रतिवादी संख्या 16 का 1/8 हक व हिस्सा कानूनन निहित है। इसी अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 17 स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने के नाते बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा घोषणात्मक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 4 इस आशय की जारी की जावे की भूमि ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 381 तादादी 1.50 हैक्टयर, खसरा नंबर 475 तादादी 2.39 हैक्टयर कुल तादादी 3.89 हैक्टयर में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हक व हिस्सा है, की घोषणा की जावे एवं इसी अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 की ओर से उपस्थिति दर्ज की गयी। शेष प्रतिवादीगण, प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 ता 2/11, 3, 5 ता 7, 9 ता 16 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया, इनकी ओर से न्यायालय में कोई हाजिर नहीं होने पर अनुपस्थिति दर्ज की जाकर इनके खिलाफ तामीली की अवधारण ली जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाबदावा बाबत अवसर दिए जाने उपरांत जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जवाबदावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक को

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

[illegible]

[illegible] तहसील लूणकरणसर, बीकानेर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। वादी अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य वादी पूर्ण शुमार की जाकर बंद की गयी। प्रतिवादी संख्या 4 के जवाब बंद होने की स्थिति में साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 4 स्वतः बंद। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाबदावा काउंटर क्लेम/वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। इसके अतिरिक्त वादी व प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य बाबत् कोई तथ्य पेश नहीं किया गया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने बहस में कथन किया ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 381 तादादी 1.50 हैक्टयर, खसरा नंबर 475 तादादी 2.39 हैक्टयर कुल तादादी 3.89 हैक्टयर भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 1141/323 तादादी 25.15 बीघा थे। उक्त भूमि पूर्व खातेदार नानूराम पुत्र मूलाराम जाति गुरड़ा के खातेदारी कृषि भूमि रही थी। नानूराम पुत्र मूलाराम के कुल 9 जायज वारिसान थे उनके स्वर्गवास के बाद उनके तमाम जायज

सान में उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निहित हो गई एवं उसी अनुरूप सबका बहिस्सा बराबर 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक तरीके से रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा नानूराम के स्वर्गवास के बाद राजस्व अमला माल से मिलकर वादीगण की स्वर्गीय माता व पति जेठी देवी, प्रतिवादी संख्या 5 तुलछी देवी प्रतिवादी संख्या 6 से 15 के स्वर्गीय पिता व दादा भतमाल व प्रतिवादी संख्या 16 भंवरी देवी के पिता बदरीराम का नाम विरासतन इंतकाल में स्वीकृत नहीं करवाया। उक्त इंतकाल संख्या 1176 प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है एवं शुरू से नल एण्ड वॉयड होने से नोनेस्ट है तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। नानूराम की पत्नी जीवनी का भी स्वर्गवास हो चुका है कानूनन उसका हिस्सा सब में निहित हो जाने के कारण वादीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 4/8 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 का संयुक्त रूप से 1/8 हक व हिस्सा एवं इसी कदर प्रतिवादी संख्या 16 का 1/8 हक व हिस्सा कानूनन निहित है। इसी अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान अभिभाषक श्री सीताराम बिश्नोई द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को 1/40–1/40 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना है। अतः प्रतिवादी संख्या 8 को अपने 1/40 हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इस संबंध में निम्न दृष्टांत पेश किए गए– 1. 2017 RBJ PAGE 141 2. RRD 1998 PAGE 465

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

3. **RBJ (13) 2006 PAGE 671 - PRECEDENT** - A document executed in vilation of law is ab-initio void and a nullity in the eyes of law - The mutation which caused this dispute goes to the root of the matter. After the death of Basantya he was succeeded by two first class heirs and the land to be mutated accordingly. Any act carried out against this law is a nullity and ab-initio void. It is admitted that the mother was not recorded and only the name of son was recorded. This is a travesty. A document executed in violation of law is ab-initio void and a nullity in the eyes of law. Hence it is not possible for this court to recognize this piece of paper as having any force at all.

पत्रावली में वादपत्र पर अंतिम बहस दिनांक 24.04.2025 सुनने उपरांत पत्रावली निर्णय वास्ते नियत की गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अतः पत्रावली अंतिम निर्णय वास्ते नियत होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का परीक्षण इस स्तर पर संधारणीय नहीं है अतः प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पत्रावली के पार्ट–डी में शामिल किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्र धारा 88 आरटीए घोषणात्मक व 53 आरटीए खाता विभाजन बाबत प्रस्तुत हुआ है। जिसमें वादीगण द्वारा ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 381 तादादी 1.50 हैक्टयर, खसरा नंबर 475 तादादी 2.39 हैक्टयर कुल तादादी 3.89 हैक्टयर भूमि बाबत घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया

पीठासीन कलक्टर
बीकानेर शहर

है व प्रतिवादी संख्या 8 की ओर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक के 1/40–1/40 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के संयुक्त 1/40 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने बाबत कथन किया गया है। वादपत्र के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अराजी भूमि पूर्व खातेदार स्व. श्री नानूराम पुत्र मूलाराम गुरड़ा के नाम रही है। स्व. श्री नानूराम के स्वर्गवास के बाद इंतकाल संख्या 1182 मु0 जीवणी बेवा स्व.श्री नानूराम व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 (गिरधारीलाल, काशीराम, हनुमानप्रसाद,सांवतराम) के नाम दर्ज किया गया तथा जीवणी देवी पत्नी स्व. श्री नानूराम की मृत्यु के बाद उक्त अराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है, **जबकि स्व. नानूराम गुरडा व उनकी पत्नी जीवणी देवी के मृत्यु उपरांत वादगत भूमि उनके जायज वारिसान (पुत्र–पुत्रियों) में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार बहिस्सा बराबर–बराबर निहित हुई उसी अनुसार 1/8–1/8 हिस्सा अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना था। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बराबर–बराबर हिस्सा होता है। वादगत भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 अपने हिस्से अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी घोषणा के अधिकारी है, उक्त तथ्य वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा साक्ष्य–दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। वादगत भूमि**

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 स्व. श्री नानूराम के जायज वारिसान होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अपने हक व हिस्से अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी सिद्ध होना प्रतीत होते है। वादगत भूमि में वादीगण संयुक्त रूप से (माता जेठी देवी पुत्री नानूराम) का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ओमप्रकाश पुत्र भतमाल पुत्र नानूराम का 1/40 हिस्सानुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है तदनुसार वादगत भूमि में स्व. नानूराम के समस्त विधिक/जायज वारिसान का भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हिस्सा निहित है उसी अनुसार रिकॉर्ड में अमलदराम किया जाना न्यायोचित्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 53 आरटीए व जवाबदावा काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 8 अपना दावा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य सबूत एवं कब्जाकाश्त को सिद्ध करने में सफल रहने के परिणामस्वरूप वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 53 आरटीए व जवाबदावा काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 8 स्वीकार किया जाता है तथा विरासतन इंतकाल संख्या 1182 को एबिनिशियो वॉयड घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 स्व. श्री नानूराम के जायज वारिसान होने से अपने हिस्से अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी घोषणा के अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 381 तादादी 1.50

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर, खसरा नंबर 475 तादादी 2.39 हैक्टयर कुल तादादी 3.89 हैक्टयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक में 1/8–1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक में 1/40–1/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 को संयुक्त रूप से 1/40 तथा प्रतिवादी संख्या 16 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर निर्णय की पालना में उक्त पक्षकारान का रिकॉर्ड में अमलदरामद किए जाने उपरांत उक्त वादगत भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डय के आधार पर पक्षकारों को सूचित करते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा की दो–दो प्रतियों में प्रेषित करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री जी प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार राजस्व बीकानेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमन शर्मा)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर